न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

सुलेमान पुत्र रायमल कौम मुसलमान उर्फ अली खां
निवासी सिमरखिया

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

वली खां पुत्र रायमल कौम मुसलमान निवासी सिमरखिया।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री स्वंय वादी।
2..श्री स्वंय प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 23-11-21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 23 रकबा 63.03 बीघा,

सरहद मौजा सिमरखिया तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम सुलेमान होने से राजस्व रेकर्ड में सुलेमान दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम अली खां दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेते, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज सुलेमान के स्थान पर अली खां सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम सुलेमान .... के स्थान पर अली खां .... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच नायब तहसीलदार .... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं. 23 .... रकबा 63.03 .... बीघा, सरहद मौजा सिमरखिया तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम सुलेमान .... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार .... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम सुलेमान .... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम अली खां .... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं .... 23 .... रकबा 63.03 .... बीघा, सरहद मौजा सिमरखिया ......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम सुलेमान .... पुत्र रायमल खां .... के स्थान पर अली खां .... पुत्र रायमल खां .... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 .... **को कोर्ट केम्प** में सिमरखिया .... **में मजमे आम में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested